न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 292/2025 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. नन्दा पुत्र छोगा गुर्जर, आयु वयस्क निवासी सुन्दरपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

–प्रार्थी

बनाम

1. मिठु लाल पिता उदा गुर्जर आयु 65 साल, निवासी सुन्दरपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. तहसीलदार भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा0 दी0 बाबत् न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 31/2019 राजस्व वाद उनवान मीठु लाल बनाम नन्दा गुर्जर, निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.06.2024 को अपास्त किये जाने हेतु

उपस्थित अधिवक्ता –

1. श्री शिव सिंह चारण– प्रार्थी
2. श्री किशनलाल कुमावत – अप्रार्थी

निर्णय दिनांक– 27/1/2026

प्रार्थी द्वारा दिनांक 19.06.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 व धारा 151 जाब्ता दीवानी का न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र कम संख्या 292/2025 पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी/विपक्षी संख्या 01 द्वारा एक वादपत्र आप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसमे प्रतिवादी संख्या 01/प्रार्थी के अदालत मे हाजिर नहीं होने के कारण इकतरफा सुनवाई कर दिनांक 10.06.2024 को इकरतरफा निर्णय मय डिक्री पारित फरमा दी गई। अतएवं प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से यह आवेदन पत्र सादर पेश है।

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 हाजिर अदालत उपस्थित नही हो सका। जिसकी अनुपस्थिति का कारण यह रहा है कि प्रकरण मे प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 को हस्तगत प्रकरण की कोई जानकारी ही नही हो पायी और ना ही प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 की सम्यक रूप से तामिल हुई और प्रकरण मे प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 की तामिल नही होने और प्रकरण की जानकारी नहीं हो पाने के कारण प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 हाजिर अदालत उपस्थित नहीं हो सका।

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है कि –

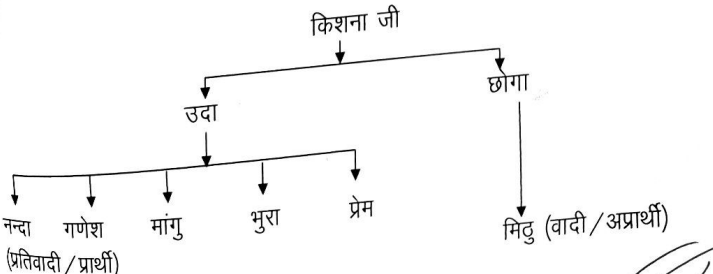

27/1/26

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

इस प्रकार उक्त सजरे अनुसार प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 के परिवार में कोई ओमप्रकाश नामक व्यक्ति नहीं है। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 के सम्मन पर जो रिपोर्ट आयी है उक्त रिपोर्ट मे प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 के सम्मन ओमप्रकाश द्वारा प्राप्त करना अंकित किया है और ओमप्रकाश ने अपने आपको प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 का भाई होने का रिश्ता बताया है। जबकि वास्तविकता इस प्रकार है कि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 का ओमप्रकाश नाम का कोई भाई नही है। इससे भी प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 को विधिवत तामिल नही होना साबित होता है।

वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 की पुश्तैनी आराजीयात है। उक्त आराजीयात पर प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 के पिता उदा के समय से ही कब्जा चला आ रहा है इस हेतु धारा 91 के नोटिस भी जारी हुए परन्तु वादी एवं उसके पूर्वाधिकारी ने धोखाधडी करते हुए भूमि को गलत तौर आवंटित करा लिया।

प्रकरण मे प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 की सम्यक तामिल नही होने से प्रकरण की जानकारी प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 को नहीं थी कि इसी दरमियान श्रीमान् तहसीलदार भीलवाड़ा का एक नोटिस दिनांकित 23.05.2025 प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 को जारी कर भूमि का कब्जा खाली करने हेतु जारी किया। जिसमे हस्तगत प्रकरण की विशिष्टियाँ अंकित होने से दिनांक 18.06.2025 को नकल हेतु आवेदनपत्र पेश कर नकले प्राप्त की। जिस पर माननीय आप न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रथम बार जानकारी हुई और जानकारी होते ही यह आवेदनपत्र सादर पेश है। परन्तु निर्णय एवं डिक्री की तिथि से आवेदनपत्र पेश करने में हुई देरी को कण्डोन फरमाये जाने हेतु दफा 05 कानून मियाद अधिनियम का आवेदनपत्र अलग से पेश है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 31/2019 राजस्व वाद उनवान् मीठु लाल बनाम नन्दा गुर्जर, इकतरफा निर्णय एवं डिक्री दिनांकित 10.06.2024 को अपास्त कर सुनवाई किये जाने का आदेश बक्सावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विपक्षीगण के नोटिस जारी किये गये। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री शिव सिंह चारण द्वारा अण्डरटेकिंग दिनांक 19.09.2025 को प्रस्तुत की गई तथा अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री किशन लाल कुमावत द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की गई। अप्रार्थी संख्या 2 के सम्मन बाद तामील प्राप्त हुए।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री शिव सिंह चारण का वकालतनामा दिनांक 09.10.2025 को पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 का जवाब दिनांक 30.10.2025 को पेश हुआ, जिसे रिकॉर्ड पर लिया गया।

अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का जवाब निम्न प्रकार है कि प्रार्थनापत्र की चरण सख्या 01 में वर्णित समस्त तथ्य सही होकर सत्य है।

प्रार्थनापत्र की चरण सख्या 02 में वर्णित समस्त तथ्य गलत होकर अस्वीकार है प्रार्थी को प्रकरण के समस्त तथ्यो की जानकारी थी फिर भी जानबुझकर न्यायालय श्रीमान के समक्ष उपस्थित नही हुआ था।

प्रार्थनापत्र की चरण सख्या 03 में प्रार्थी ने अपने व विपक्षी के परिवार का गलत सजरा पेश किया है। ओमप्रकाश मांगू गुर्जर का पुत्र होकर प्रार्थी का भतीजा है। प्रार्थी ने उक्त चरण मे गलत तथ्यो का समावेश किया है।

प्रार्थनापत्र की चरण सख्या 04 में प्रार्थी ने मनगढन्त तथ्य दर्ज किये है विवादित कृषि आराजी जमाबन्दी मे विपक्षी संख्या 01 के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है तथा विपक्षी सख्या 01 ने अपनी भूमि की पत्थरगढी करवायी है। जिसमे कब्जा प्रार्थी का आने से नियमानुसार वादपत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष कब्जा लेने के लिये किया है। उक्त प्रार्थनापत्र में प्रार्थी के द्वारा अपना कब्जा होना स्वीकार किया है इसलिये प्रकरण में पत्थरगढी मौका पर्चा के आधार पर एंव प्रार्थी/प्रतिवादी की कब्जे के बाबत स्वीकारोक्ति के आधार पर न्यायालय श्रीमान के द्वारा सही डिक्री जारी की है इसलिये प्रकरण में कोई भी कार्यवाही शेष नही रह जाती है।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थनापत्र की चरण सख्या 05 मे प्रार्थी ने गलत तथ्यो को अंकन किया है प्रार्थी को विवादित भूमि की पत्थरगढी होने के समय से ही पूरे प्रकरण की जानकारी थी तथा उसके बाद न्यायालय श्रीमान के द्वारा जारी सम्मन भी प्राप्त हो गया था किन्तु प्रार्थी जानबुझकर न्यायालय श्रीमान के समक्ष उपस्थित नही हुआ था। इसलिये प्रार्थी किसी भी प्रकार से कोई भी अनुतोष न्यायालय श्रीमान से प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

प्रार्थी/प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर दिया जाने का कोई भी औचित्य शेष नही रहा है प्रकरण धारा 183 का होकर उसमे प्रतिवादी का कब्जा वादी की भूमि पर होना प्रमाणित पाये जाने पर डिक्री जारी की जाती है जो पत्थरगढी मौका पर्चा एंव प्रार्थी के द्वारा पेश उक्त प्रार्थनापत्र मे अपना कब्जा होना स्वीकार करने से हो रहा है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र सारहीन होने से सव्यय खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री किशन लाल कुमावत द्वारा अधिकार पत्र दिनांक 13.02.2026 को पेश किया गया।

उभयपक्षकारान् अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहराव करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूलवाद संख्या 31/2019 अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उनवान मिठू लाल बनाम नंदा गुर्जर में प्रार्थी प्रतिवादी के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया था। न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत वाद में दिनांक 13.08.2019 को प्रतिवादी संख्या 01 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुए एवं बाद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित किये गये थे, जबकि मूलवाद में प्रतिवादी संख्या 1 के सम्मन सम्यक रूप से तामिल नहीं हुए थे। उक्त मूल वाद में नन्दा का सम्मन तामिल कुनिन्दा द्वारा ओमप्रकाश (भाई) को तामिल करवाये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 में स्वयं का सजरा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रार्थी का ओमप्रकाश नाम का कोई भाई नहीं है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 31/2019 राजस्व वाद उनवान् मीठु लाल बनाम नन्दा गुर्जर, इकतरफा निर्णय एवं डिक्री दिनांकित 10.06.2024 को अपास्त कर सुनवाई किये जाने का आदेश बक्सावें।

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि ओमप्रकाश, मांगू गुर्जर का पुत्र होकर प्रार्थी का भतीजा है। प्रार्थी को विवादित भूमि की पत्थरगढी होने के समय से ही पूरे प्रकरण की जानकारी थी तथा उसके बाद न्यायालय श्रीमान के द्वारा जारी सम्मन भी प्राप्त हो गया था किन्तु प्रार्थी जानबुझकर न्यायालय श्रीमान के समक्ष उपस्थित नही हुआ था। उक्त प्रार्थनापत्र में प्रार्थी के द्वारा अपना कब्जा होना स्वीकार किया है इसलिये प्रकरण में पत्थरगढी मौका पर्चा के आधार पर एवं प्रार्थी/प्रतिवादी की कब्जे के बाबत स्वीकारोक्ति के आधार पर न्यायालय श्रीमान के द्वारा सही डिक्री जारी की है इसलिये प्रकरण में कोई भी कार्यवाही शेष नही रह जाती है। इसलिये प्रार्थी किसी भी प्रकार से कोई भी अनुतोष न्यायालय श्रीमान से प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रकरण धारा 183 का होकर उसमे प्रतिवादी का कब्जा वादी की भूमि पर होना प्रमाणित पाये जाने पर डिक्री जारी की जाती है जो पत्थरगढी मौका पर्चा एंव प्रार्थी के द्वारा पेश उक्त प्रार्थनापत्र मे अपना कब्जा होना स्वीकार करने से हो रहा है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र सारहीन होने से सव्यय खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्षकारान् अधिवक्तागण की बहस पर मनन एवं चिंतन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया। मूल वाद में नन्दा का सम्मन तामिल कुनिन्दा द्वारा ओमप्रकाश (भाई) को तामिल करवाये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सजरे के अनुसार प्रार्थी का ओमप्रकाश नाम का कोई भाई नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि मूलवाद में प्रतिवादी संख्या 1 के सम्मन सम्यक रूप से तामिल नहीं हुए थे। अतः प्रकरण संख्या 31/2019 राजस्व वाद उनवान् मीठु लाल बनाम नन्दा गुर्जर, इकतरफा निर्णय एवं डिक्री दिनांकित 10.06.2024 को अपास्त कर सुनवाई किये जाने का आदेश प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतएव

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

– : आदेश :–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 व धारा 151 जाब्ता दीवानी का स्वीकार किया जाकर प्रकरण संख्या 31/2019 राजस्व वाद उनवान् मीठु लाल बनाम चन्दा गुर्जर, को पुनः नम्बर पर लिया जाता है और प्रार्थी को उक्त वाद में आगामी पेशी दिनांक 30/6/26 को जवाब पेश करने हेतु आवश्यक रूप से पाबंद किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

27/5/26

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा